कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—3058/11—सी—**FP/UP/Road/13414/2015**, लखनऊः दिनांकः अप्रैल 28 ,2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः— विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0—93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 49.098 हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5458 एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/590, दिनांक 14.11.2017, पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/169, दिनांक 11.06.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक—4496/14—10—4, दिनांक 26.04.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0—1 में भारत सरकार के द्वारा निम्न उल्लेख किया गया हैः—

"शर्त सं0—1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 114.196 हे0 (57.098*2=114.196 ha.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।"

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि एवं प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी 2.165 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों अनुरक्षण सहित प्राक्कलन की धनराशि जमा करायी गयी है तथा प्रेषित प्रस्ताव में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि एवं प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी गैर वनभूमि पर प्रस्तावित थी।

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0—1 में **प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि एवं प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी 2.165 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों अनुरक्षण सहित प्राक्कलन की आवश्यक धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त में संशोधित** करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—3058/11—सी— FP/UP/ Road/13414/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
4. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी एवं शाहजहॉपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-455

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 5236 /11–सी–FP/UP/Road/13414/2015, लखनऊ, दिनांकःजून 14 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत गोला–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 49.098 हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 5890 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/109/2016/एफ0सी0/590, दिनांक–14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक–4208/14–1, दिनाँक–24.05.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक–6106/14–10–4, दिनाँक–26.04.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है। अतः उक्त पत्र एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या दो प्रतियों में मय संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त् ।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 5236/11–सी–FP/UP/Road/13414/2015, दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बरेली।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी एवं शाहजहॉपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1979